

अनुदान संख्या 2 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No.2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	8513,62,00			
			8513,64,00	8439,94,43	-73,69,57
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,81,47

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—
1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"				
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education				
मू.	O.	785770.00			
पू.	S.	1.00	849354.54	843396.19	-5958.35
पु.	R.	63583.54			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	64860.00			
पू.	S.	1.00	1145.00	..	-1145.00
पु.	R.	-63716.00			

(I) ₹64861.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹64161.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) "फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता"–

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹6720.00 लाख;

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹3200.00 लाख;

(ग) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹4590.00 लाख;

(घ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹3500.00 लाख;

(ङ) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय" – ₹17000.00 लाख;

(खा) "मृदा और जल संरक्षण – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता"–

(क) "कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹4300.00 लाख;

(ख) "जलवायु अनुकूल कृषि पहल" – ₹550.00 लाख;

(गा) "पशुपालन – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – डेयरी अनुसंधान संस्थानों एवं स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹3300.00 लाख; और

(I) Provision of ₹64861.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹64161.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R."-

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" – ₹6720.00 lakhs;

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - ₹3200.00 lakhs;

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - ₹4590.00 lakhs;

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - ₹3500.00 lakhs;

(e) "I.C.A.R. Headquarters" – ₹17000.00 lakhs;

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R" –

(a) "Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes" - ₹4300.00 lakhs;

(b) "Climate Resilient Agriculture Initiative" – ₹550.00 lakhs;

(C) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - ₹3300.00 lakhs; and

(घा) "सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें) – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य सहायता अनुदान" – ₹21001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

(का) "फसल कृषिकर्म" –

(क) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता"—

(i) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹2249.80 लाख की बचत (₹56400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति/चौदहवें वित्त आयोग (ईएफसी/एफएफसी) के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹1433.99 लाख की बचत (₹27500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹632.57 लाख की बचत (₹5660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(D) "General (Agricultural Research & Education Schemes) - Grants-in-aid-General to Central Agricultural University, Imphal" – ₹21001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provisions under above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(II) Under Major Head "2415" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry" -

(a) "Assistance to I.C.A.R." -

(i) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹2249.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56400.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals of Expenditure Finance Committee/Fourteenth Finance Commission (EFC/FFC) and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹1433.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27500.00 lakhs);

(iii) "Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹632.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5660.00 lakhs);

- (iv) "कृषि में बुनियादी, रणनीतिक और सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि" – ₹600.00 लाख की बचत (₹4800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (iv) "National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4800.00 lakhs);
- (ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –
- (b) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-
- (i) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹1006.45 लाख की बचत (₹5640.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (i) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹1006.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5640.00 lakhs);
- (ii) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹682.06 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ii) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹682.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs);
- (ग) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" ₹504.43 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (c) "Tribal Area Sub-Plan - Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - saving of ₹504.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs); and
- (खा) "मत्स्य पालन-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता – संस्थान अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" ₹1544.57 लाख की बचत (₹13570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (B) "Fisheries – Assistance to I.C.A.R. - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes" – saving of ₹1544.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13570.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above seven heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1843.45 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 24 प्रतिशत थीं।

(III) Under four heads saving of ₹1843.45 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituted 13 percent to 24 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹70463.60 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत मार्च, 2022 में ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) "फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि, बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन में सूचना तथा प्रकाशन निदेशालय सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन" – ₹40945.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹39987.67 लाख था।

(खा) "सामान्य – अन्य संस्थाओं को सहायता"—

(क) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान" – ₹25155.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹22083.95 लाख था।

(ख) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान" – ₹3699.85 लाख।

(ग) "कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड" – ₹663.15 लाख।

(III) बचतें मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित भी हो गईं:—

(का) "फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹1347.14 लाख का अधिक व्यय (₹18810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

2.(I) The above savings were partly (₹70463.60 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March 2022 under Major Head "2415" - under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R. – I.C.A.R. Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management" - ₹40945.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹39987.67 lakhs.

(B) "General - Assistance to Other Institutions" –

(a) "Grants- in- Aid to Central Agricultural University, Imphal" - ₹25155.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22083.95 lakhs.

(b) "Grants- in- Aid to Central Agricultural University, Bihar" - ₹3699.85 lakhs.

(c) "Agricultural Scientists Recruitment Board" - ₹663.15 lakhs.

(III) Savings were also offset by excess under Major Head "2415" - under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R. – Agricultural Extension Institutes, Research & Education Schemes" – excess of ₹1347.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18810.00 lakhs); and

(खा) "मृदा तथा जल संरक्षण – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि – वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"— ₹1879.64 लाख का अधिक व्यय (₹12630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institutes, Research & Education Schemes including Agro-Forestry Research & Education Schemes" - excess of ₹1879.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12630.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.